

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 अप्रैल 2018—चैत्र 17, शक 1940

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1-14-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के साथ सहपठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-14/2011/आठ, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री एम. पी. सिंह, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कैम्प कार्यालय, भोपाल को अस्थायी रूप से भारसाधक संभागीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल नियुक्त करती है और आगामी आदेश तक संभागीय उप परिवहन आयुक्त, उज्जैन का अतिरिक्त प्रभार देती है.

No F.-1-14-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) read with the second proviso to sub-section (2) Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in this department's Notification No. F-1-14-2011VIII, dated 5th November, 2015, the State Government, hereby, temporarily appoints Shri M. P. Singh, Senior Regional Transport Officer, Camp office, Bhopal as in-charge Divisional Deputy Transport Commissioner Bhopal and additional charge of Deputy Transport Commissioner Ujjain is given till further order.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमल नागर, उपसचिव.